eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

लैगिंक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारतीय महिलायें

डॉ. अनुपम सिंह[1]
[1]असिस्टेण्ट प्रोफेसर–समाजशास्त्र, लो0 अ0 होल्कर राजकीय महिला महा0, भरापुरा, अलीगंज, एटा।

Received: 20 April 2026 Accepted & Reviewed: 25 April 2026, Published: 30 April 2026

Abstract

भारतीय समाज में वैदिक काल से ही महिलाओं का सम्मान प्राप्त होता रहा है। वैदिक काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें महिलाओं की स्थिति अत्यन्त उच्च थी। इसमें थोड़ी–थोड़ी गिरावट उत्तर वैदिक काल से प्रारम्भ हुई। स्मृति युग, मध्यकालीन युग व आजादी से पहले के बिट्रिश काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट होती चली आई। यद्यपि इसके लिए विभिन्न समाज सुधारकों नें प्रयास किए और ऐसी महिलायें हुई जिन्होंनें सनातन सभ्यता और संस्कृति का परचम फहराये रखा। बिट्रिश काल के समय से वर्तमान दौर तक तमाम समाज सुधारकों व विभिन्न सांवैधानिक प्रावधानों, केन्द्र व राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों के परिणामस्वरूप मध्य काल में हुई गिरावट से उबरकर वैदिक काल जैसे स्वर्णिम युग की तरफ भारत लौट रहा है। लैंगिक असमानता को दूर कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत के कदम बढ़ते जा रहे हैं।

बीज शब्द – संविधान, लैंगिक समानता, सशक्तिकरण, सनातन संस्कृति, संवैधानिक प्रावधान

Introduction

विकसित भारत–2047 की परिकल्पना को यथार्थ रूप और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता तथा महिलाओं का सशक्तिकरण अत्यन्त आवश्यक है। इस लक्ष्य को तभी पाया जा सकता है जब महिलायें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से सशक्त हो और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाहन करें। भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए वैदिक काल से अब तक महिलाओं के हक और अधिकार की यात्रा में अनेकों उतार–चढ़ाव आये। इन सभी काल खण्ड को समझना आवश्यक है।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति– वैदिक काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसमें महिलाओं की स्थिति अत्यन्त उच्च थी। महिलाओं और पुरूषो की स्थिति एक समान थी। शिक्षा प्राप्त करनें का अधिकार हो, विवाह का फैसला हो या धार्मिक कार्यों में सहभागिता हो, सभी में समान अवसर महिलाओं को प्राप्त था।

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति – लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व वैदिक काल में स्थापित सामाजिक परम्पराओं, रीति–रिवाजों, व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना प्रारम्भ हुआ। फलतः महिलाओं की प्रस्थिति में भी अन्तर आना प्रारम्भ हो गया। सैद्धान्तिक रुप से तो वैदिक काल जैसी ही स्थिति रही परन्तु व्यवहारिक रुप से इसमें महिलाओं की स्वतन्त्रता और अधिकार पर अंकुश लगना प्रारम्भ हो गया। इस काल में जैन और बौद्ध धर्मों का प्रभाव भी भारतीय सनातन धर्म पर पडने लगा। बाल विवाह प्रथा का प्रारम्भ होने लगा और स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी कम होने लगा। स्त्रियों को अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने से वंचित किया जाने लगा।

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

स्मृति युग में महिलाओं की स्थिति – लगभग 300 ईसा बाद के समय की शुरुआत जिसमें स्मृतिकारों नें स्मृतियों के द्वारा हिन्दू धर्म के आचार–विचार, व्यवहार व जीवन जीने के तौर–तरीकों को अपने हिसाब से निर्धारित करने का कार्य किया। स्मृतिकारों नें अपने हिसाब से समाज को चलानें का कार्य किया। लड़कियों की कम उम्र में शादी करना , उनको सम्पत्ति और शिक्षा के अधिकार से वंचित करना, विधवा पुर्नविवाह को धर्म विरुद्ध घोषित करना, सती प्रथा का उदय होना। स्मृति युग महिलाओं की प्रस्थिति को निम्न स्तर पर ले आया।

मध्यकालीन युग में महिलाओं की स्थिति – मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद समाज में महिलाओं की स्थिति और दयनीय हो गई। स्मृति युग में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और बढ़ गए। कन्या भ्रूण हत्या, बालविवाह, बहुपत्नी विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुर्नविवाह पर रोक ने महिलाओं की स्थिति को दयनीय बना दिया।

बिट्रिश काल में महिलाओं की स्थिति – 19 वीं शताब्दी के आरम्भ से आजादी के समय तक जिसे हम बिट्रिश काल मानते है। इसमें महिलाओं से संबंधित कुप्रथायें जो स्मृति काल से चली आ रही थी, वो बदस्तूर जारी रहीं। बल्कि दहेज प्रथा जैसी समस्या नें समाज को और जकड़ लिया जो अथक प्रयासों और संवैधानिक व्यवस्थाओं के बाद आज भी भारत मे विद्यमान है। यद्यपि इस काल खण्ड में समाज सुधार आन्दोलन होने लगे। राजाराम मोहनराय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, केशव चन्द्र सेन, एनी बेसेन्ट, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, जैसे तमाम अन्य समाज सुधारकों नें सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, विधवा पुर्नविवाह पर रोक जैसी अन्य लैंगिक भेदभाव जनित कुरीतियों का डटकर विरोध किया और महिलाओं के हितों की रक्षा हेतु आन्दोलन भी किए।

आजादी के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति – आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में बृहद स्तर पर परिवर्तन होना शुरु हुआ। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान, गैर सरकारी संगठनों और समाज सुधारकों द्वारा किए गए प्रयासों, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग के गठन से महिलाओं की स्थिति में अत्यन्त सुधार हुआ है, जो अनवरत जारी भी है। शिक्षा, राजनीति, व्यापार, खेल, प्रशासनिक सेवाओं, सेनाओं में बेटियों के द्वारा लगातार किए गए कार्यों और सक्रिय भागीदारी की वजह से भारत में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होती चली जा रही है।

लैंगिक असमानता – शिक्षा व लिंगानुपात के आँकड़ों के द्वारा :–

महिला व पुरुष साक्षरता के आँकड़े समाज में लैंगिक असमानता की ओर इशारा करते हैं–

सारिणी–1

आजादी के बाद से महिला व पुरूष साक्षरता दर

(जनगणना–1951 से लेकर जनगणना–2011 तक)

क्र.स.	जनगणना वर्ष	पुरूष साक्षरता (प्रतिशत में)	महिला साक्षरता (प्रतिशत में)	अन्तर (प्रतिशत में)
1	1951	27.2	8.9	18.3

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

2	1961	40.4	15.4	25.0
3	1971	46.0	22.0	24.0
4	1981	56.4	29.8	26.6
5	1991	64.1	39.3	24.8
6	2001	75.3	53.7	21.6
7	2011	82.1	65.5	16.7

तालिका–1 का विश्लेषण करने पर स्पष्ट पता चलता है कि आजादी के तुरन्त बाद हुई जनगणना–1951 में महिला और पुरूष साक्षरता में जो अन्तर 18.3 प्रतिशत का था, वह 60 वर्षों बाद हुई जनगणना–2011 में 16.7 प्रतिशत का रहा। इन 60 वर्षों में भी महिला और पुरूष साक्षरता दर में कोई अन्तर कम नहीं हुआ है।

सारिणी–2

आजादी के बाद से महिला व पुरूष लिंगानुपात

(जनगणना–1951 से लेकर जनगणना–2011 तक)

क्र.स.	जनगणना वर्ष	पुरूष प्रति एकहजार	महिला की संख्या प्रति एक हजार पुरूषों पर	अन्तर (प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या में कमी)
1	1951	1000	946	54
2	1961	1000	941	59
3	1971	1000	930	70
4	1981	1000	934	66
5	1991	1000	926	74
6	2001	1000	933	67
7	2011	1000	943	57

सारिणी–2 का विश्लेषण करनें पर ज्ञात होता है कि वर्ष 1951 में जहाँ महिला पुरूष का लिंगानुपात 946 था वहीं यह जनगणना–2011 में 943 रहा। लिंगानुपात का स्तर सही होने की वजाय गिरा और है। शिक्षा और लिंगानुपात में अन्तर दोनो चर यह स्पष्ट कह रहें है कि महिलाओं के साथ भेदभाव अभी भी उसी तरह हो रहा है जो आजादी के समय था।

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए कानूनी प्रावधानों का विवरण :–

निम्नलिखित कानूनी और संवैधानिक व्यवस्थायें महिलाओं के सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता के लिए की गई हैं :–

महिलाओं के लिए प्रमुख कानून :–

1. **दहेज निरोधक अधिनियम 1961** – दहेज को रोकनें के लिए वर्ष 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम बनाया गया जिसमें सन 1986 में संशोधन भी किया गया। इसके अनुसार कारावास और जुर्मानें दोनों की व्यवस्था की गई।

2. **हिन्दू विवाह अधिनियम 1955** – इसमें एक विवाह की व्यवस्था की गई।

3. **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956** – हिन्दू लड़कियों को भी अपने भाई की भाँति पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होगा।

4. **हिन्दू विवाह अधिनियम 1656** – इस अधिनियम में पति–पत्नी के वैवाहिक जीवन जैसे विवाह, तलाक एवं सजा आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है।

5. **मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939** – इस अधिनियम में मुस्लिम महिलाओं तलाक देनें के अधिकार भी प्रदान किए गए।

6. **हिन्दू अवस्यकता एवं संरक्षण अधिनियम 1956** – पति–पत्नी के बीच विवाह विच्छेद की स्थिति में बच्चों के संरक्षण का अधिकार से सम्बन्धित है।

7. **अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956** – इस कानून के अनुसार महिलाओं के प्रति यौन–शोषण करनें को संज्ञेय अपराध माना गया है।

8. **गर्भावस्था समापन चिकित्सा अधिनियम 1971** – इसमें महिलाओं को भी गर्भ समापन के लिए अधिकार प्रदान किए गए।

9. **स्त्री अशिष्ट प्रतिबन्ध अधिनियम 1986** – इस अधिनियम के माध्यम से स्त्री के शरीर के अश्लील चित्रण पर पूर्ण तया प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी महिला को इस प्रकार चित्रित नहीं किया जा सकता है जिससे उसकी सार्वजनिक नैतिकता को आघात पहुँचे या उसका मान घटे।

10. **विशेष विवाह अधिनियम 1954** – इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वैवाहिक स्वतन्त्रता के साथ साथ धार्मिक स्वतन्त्रता भी प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा कोई भी महिला अपना धर्म परिवर्तन किए बगैर किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति से विवाह कर सकती है।

11. **कारखाना अधिनियम 1848** – इस अधिनियम में सन 1976 में संशोधन कर लिया गया था। इसके अनुसार यदि किसी कारखाने या उद्योग धन्धें में महिलाओं की संख्या 30 से अधिक होगी तो प्रबन्धन को वहाँ एक शिशु गृह की स्थापना करनी होगी। ताकि काम के घण्टों के दौरान महिलायें अपने बच्चों को शिशु गृह में छोड़ सकें।

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

इसके अलावा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं उन्हें उत्पीड़न से मुक्ति दिलानें के लिए भारत में कानून बनाये गए।

1.शिशु हत्या निषेध अधिनियम – 1804

2.शारदा एक्ट – 1929

3.विधवा पुनर्विवाह अधिनियम – 1966

4.घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम – 2005

5.आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम – 2013

6.कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम – 2013

इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्न योजनायें चलाई गई–

1.महिला स्वावलम्बन योजना – 1989

2.स्वशक्ति योजना – 1989

3.इन्दिरा महिला योजना – 1995

4.स्वास्थ्य सखी योजना – 1997

5.बालिका समृद्धि योजना – 1997

6.डबाकुआ योजना – 1997

7.महिला स्वशक्ति योजना – 1998

8.स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना – 2000

9.किशोरी शक्ति योजन – 2000

10.कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय – 2003

11.बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना – 2005

12.इंदिरा प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना – 2006

13.उज्ज्वला योजना – 2007

14.इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – 2008

15.धनलक्ष्मी योजना – 2008

16.बेटी बचाओ बेटी पढाओ

महिलाओं के लिए संवैधानिक व्यवस्थायें –

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

क्र. स.	संवैधानिक प्रावधान	संबंधित व्याख्या
01	अनुच्छेद–14	पुरुषों और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रुप से समान अधिकारों की व्यवस्था। यह महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
02	अनुच्छेद–15	राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
03	अनुच्छेद–15 (3)	यह अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान करनें का अधिकार देता है। यह राज्य को महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सकारात्मक कारवाई करने में सक्षम बनाता है।
04	अनुच्छेद–16	पुरुषों और महिलाओं के बीच बिना लैंगिक भेदभाव के रोजगारों व सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर उपलब्ध कराना।
05	अनुच्छेद–21	यह प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी सम्मिलित है। इसका उपयोग महिलाओं को हिंसा और भेदभाव से मुक्त जीवन सुनिश्चित करनें के लिए किया जाता है।
06	अनुच्छेद–23	महिलाओं को देह व्यापार /तस्करी से उनकी रक्षा करना
	अनुच्छेद–39 (a)	यह राज्य को निर्देश देता है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रुप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।
07	अनुच्छेद–39 (d)	पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करानें का अधिकार।
08	अनुच्छेद–42	भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धान्तों में से एक है, जो राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करनें और मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करनें का निर्देश देता है।
09	अनुच्छेद–51 (A)(e)	यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य निर्धारित करता है कि वे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हो।
08	अनुच्छेद–243 (D)	यह अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। जिससे महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
10	अनुच्छेद–243 (T)	यह अनुच्छेद नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। जिससे महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

ग्लोबल जेण्डर गैप इन्डेक्स – ग्लोबल जेण्डर गैप इन्डेक्स, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष लैंगिक समानता के आधार पर देशों की रैकिंग करती है। और मुख्य रूप से चार आयामों में लैंगिक अन्तर का आकलन करती है।

ये चार निम्नलिखित हैं –

1.आर्थिक भागीदार और अवसर

2.शैक्षिक उपलब्धि

3.स्वास्थ्य और जीवन रक्षा

4.राजनैतिक सशक्तिकरण

ग्लोबल जेण्डर इन्डेक्स प्रत्येक देश की स्कोरिंग 0 से 1 के मध्य की जाती है। जहाँ 1 का मतलब पूर्ण लैंगिक समानता तथा 0 का मतलब पूर्ण असमानता है। इसका उद्देश्य नीति–निर्माताओं को उन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता के बारे में जानकारी देना है जहाँ लैंगिक समानता का अभाव है।

पिछले चार वर्षों की ग्लोबल जेण्डर इण्डेक्स में भारत की स्थिति इस प्रकार है –

ग्लोबल जेण्डर इण्डेक्स में भारत की स्थिति

क्र.स.	वर्ष	भारत की स्थिति
1	2025	148 देशों में 131 वें स्थान पर
2	2024	148 देशों में 129 वें स्थान पर
3	2023	146 देशों में 127 वें स्थान पर
4	2022	146 देशों में 135 वें स्थान पर

निष्कर्ष :– स्वतन्त्रता के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। भारतीय संविधान में इसके लिए अनेकों प्रावधान किए गए है। इसके साथ ही समय–समय पर कानून बनाकर महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करनें का प्रयास केन्द्र और राज्य सरकारों के द्वारा किया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा देश की संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उज्जवला योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, मिशन शक्ति के द्वारा देश और प्रदेश भर में महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लड़कियों के लिए शिक्षा सर्वसुलभ और सुरक्षित हो, इसके लिए महिला स्कूल और कालेजों की स्थापना की जा रही है। ग्लोबल जेण्डर इण्डेक्स में भारत की स्थिति अपने पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल जो राजनैतिक अस्थिरता के शिकार है, दोनों देशों की तुलना में अच्छी नहीं है। श्रीलंका और भूटान जैसे छोटे देश भी जेण्डर गैप इण्डेक्स में भारत से बेहतर स्थिति में है। ऐसे में आम जनमानस जब तक लैंगिक भेदभाव के प्रति जागरूक नहीं होगा तब तक केवल संवैधानिक

eISSN 3139-2377
RESEARCH WORK
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal
Volume 02, Issue 04, April 2026

और कानूनी व्यवस्थाओं से देश की आधी आबादी को उनका हक नही प्राप्त होगा। बिना लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के देश की प्रगति अधूरी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ :–

1.डॉ. मन्जुलता छिल्लर : भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिसिंग हाउस, दिल्ली 2010

2.सुधारानी श्रीवास्तव : भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति : कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2007

3.डॉ. प्रज्ञा शर्मा : भारतीय समाज में नारी, प्वाइन्टर पब्लिशर्स जयपुर–2001

4-Agrawal. Nandita, Women Education and Population in India. Chug Publication, Delhi, 1994

5. Ahuja. Ram, Crime against women, Rawat Publication, Jaipur.1987

6-Altekar, A.S., The position of women in Hindu civilization. Motilal Banarasidas. Delhi. 1978

7- Chaudhuri, S., Women's empowerment in India: A study of self-help groups in West Bengal. Journal of Rural Development, 2016

8. Kabeer, N., Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third Millennium Development Goal 1. Gender & Development, 2005